

**कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून**  
**वनादेश सं० 69 / 1-13(13) देहरादून दिनांक, 15 फरवरी, 2018**

**पदोन्नति/तैनाती आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक क-889/1-12(8) दिनांक 08-11-2017 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 21-11-2017 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पद पर निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-


क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री ठाकुर सिंह परिहार	प्र० व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	प्र० व० बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

1. उक्त पदोन्नति परित्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 सं० 11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17-02-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं० 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. पदोन्नत अधिकारी को प्रत्येक दशा में दिनांक 28-02-2018 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

3. पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून को अनिवार्य रूप से कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अर्थात् 03-03-2018 तक उपलब्ध करा दी जाये।


4. इस पदोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी के स्वास्थ्य दृष्टिगत उनकी स्वेच्छा पर वर्तमान कार्यालय/स्थल में ही तैनाती दी जा रही है। भविष्य में वर्तमान कार्यालय में पद रिक्त न होने या अन्यथा की दशा में उनका स्थानान्तरण/तैनाती यथाआवश्यकता, स्थानान्तरण नीति अनुसार किये जाने बावत विचार किया जायेगा।


  
 (जय राज) 15/02/18  
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।


वनादेश सं० 69 (1) 13(13) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग।
2. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
3. प्रमुख वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. श्री ठाकुर सिंह परिहार द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु०व०सं०, आई०टी०जी०सी०, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

  
 CAO

  
 CCFCITAC

  
 (जय राज)  
 प्रमुख वन संरक्षक, HoFF  
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

